



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 648]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2009/वैशाख 3, 1931

No. 648]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2009/VAISAKHA 3, 1931

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2009

का.आ. 997(अ).—जैवविविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18)की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केरल सरकार के साथ परामर्श करके ऐसे पादपों और वन्यजीव प्रजातियों को अधिसूचित करती है, जो विलुप्ति के कगार पर हैं, जो कि नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में सूचीबद्ध हैं, और केरल राज्य के संबंध में इस अधिसूचना के उपाबद्ध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके संग्रहण को प्रतिषेद्ध और विनियमित करती है, अर्थात्

सारणी

क्रम सं०	प्रजातियों के नाम
(1)	(2)
पादप	
1	एडिनोस्मा मालाबारिकम हुक. एफ.
2	अगास्थियामलाइया पॉसीफ्लोरा(बेड.) एस. राजकुमार एवं जनारथ (पोयसीलोन्यूरान पॉसीफ्लोरम बेड.)
3	अगालैया मालाबारिका सासिध ।
4	अनाकोलोसा डेंसीफ्लोरा बेड.
5	अतुना इंडिका(बेड.) कोस्टर्म
6	कालिएंड्रा साइनोमेट्राइड्स बेड
7	सिनोमोमम ट्रावनकोरिकम गेम्बल
8	डायलियम ट्रावनकोरिकम बेड.
9	डाइमो फोकालिक्स बेडोमई (बेंथ.) एयरी शा
10	डिप्टेरो कार्पस बोर्डिलोनी ब्राडिस
11	एलियोकार्पस वेनस्ट्स बेड.
12	गासीनिया इम्बेरेटी बोर्ड
13	हंबोल्डटिया एक्सानुलाटा एयरी शा

14	हंबोल्डटिया बर्डो लोनी प्रेन
15	हम्बोल्डटिया ट्राईजुगा(जोसेफ एवं वी चन्द्रास)मोहानन
16	जानकिया आर्याल्पाथा जोजेफ एवं वी चन्द्रास
17	मधुका बार्डोलोनी (गेम्बल) एच जे.लैम
18	मेमीसाइलोन सिसपेरेंस गैम्बल
19	पेफियोपेडिलम ड्रुई(बेड.(स्टेन
20	सालेसिया मे ला बारिका गेम्बल
21	साईजीजियम पालघाटेंस गेम्बल
22	साईजियम पेरीयारेसिस जॉमी एवं सेसिध
23	टोक्सोकार्पस बेड्डोमेई गेम्बल
24	टोक्सोकार्पस पालघाटेंसिस गेम्बल
25	वंडा थ्वेटेइसी हुक. एफ.
26	वंडा विघटी आर सी एच बी एफ.
वन्यजीव	
1	लेटीडेंस सेलीमाली थांग्लोग्या, 1974
2	विवेरा सिवेटिना ब्लिथ, 1862
3	बेलेनोप्टेरा मस्क्यूलस (लिनीअस, 1758)
4	डुगोंग डुगोन (मूलर, 1776)
5	पेंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस, लिनीअस, 1758
6	जिप्स बेगा लिसिस (मिलिन, 1788)
7	जिप्स इंडीकस (स्कोपोली, 1786)
8	डर्मीचेलिस कोरियासिया(वंडेली, 1761)
9	इरेटोमोचेलिस्स इम्ब्रीकाटी (लिनाडस, 1766)
10	फीजरवार्या मुर्थी पिल्लई, 1979
11	इंडिराना फ्राइनोडर्मा(बाउलेजर, 1882)
12	फिलॉटस चालाजिओडिस(गुंथेर 1876)
13	प्रिस्टिस जिज्झान ब्लीकर, 1851

उपाबद्ध

शर्त
सं.

शर्तें

1. किसी भी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित प्रयोजन के सिवाय, ऊपर अधिसूचित पादप अथवा वन्यजीव प्रजातियों का जीवित अथवा मृत अवस्था में संग्रह नहीं किया जाएगा जब तक कि इस संबंध में संबंधित राज्य के जैवविविधता बोर्ड से अनुमोदन न लिया गया हो और यह भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) या सुसंगत राज्य के वन और वन्यजीव विधानों के उपबंधों के अनुरूप भी हो; अर्थात्

- (क) वैज्ञानिक अनुसंधान;
 (ख) हरबेरियम और वैज्ञानिक और शैक्षिक संस्थाओं का संग्रहालय;
 (ग) प्रचार; और
 (घ) कोई अन्य वैज्ञानिक अन्वेषण ।

2. सबधित राज्य जैवविविधता बोर्ड निम्नलिखित आरम्भ या संचालन करेंगे:-

- (i) समग्र जानकारी के लिए, अधिसूचित प्रजातियों के सभी पहलुओं का अध्ययन करना ।
 (ii) स्वस्थाने और स्थान बाह्य संरक्षण और पुनः स्थापन के प्रयोजनार्थ, अधिसूचित प्रजातियों का प्रचार; और
 (iii) जागरूकता कार्यक्रम चलाना और वन विभाग के कार्मिकों, जैवविविधता प्रबंधन समितियों, पर्यावरणीय पर्यावटन कार्यक्रमों और वनवासियों तथा जनजातियों को अधिसूचित प्रजातियों के संबंध में शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना ।

[फा. सं. 28-12/2008-सी एस-III]

ए. के. गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2009

S.O. 997(E).—In exercise of powers conferred by section 38 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government, in consultation with the Government of Kerala, hereby notifies the species of plants and animals which are on the verge of extinction, as listed in column (2) of the Table given below, and prohibit and regulate the collection thereof, subject to the conditions specified in the Annexure to this notification, for the State of Kerala, namely:—

TABLE

Sl.No. (1)	Name of the species (2)
	Plants
1.	<i>Adenosma malabaricum</i> Hook. f.
2.	<i>Agasthiyamalaia pauciflora</i> (Bedd.) S. Rajkumar & Janarth. [= <i>Poeciloneuron pauciflorum</i> Bedd.]
3.	<i>Aglaia malabarica</i> Sasidh.
4.	<i>Anacolosa densiflora</i> Bedd.
5.	<i>Atuna indica</i> (Bedd.) Kosterm.
6.	<i>Calliandra cynometroides</i> Bedd.
7.	<i>Cinnamomum travancoricum</i> Gamble
8.	<i>Dialium travancoricum</i> Bedd.
9.	<i>Dimorphocalyx beddomei</i> (Benth.) Airy Shaw
10.	<i>Dipterocarpus bourdillonii</i> Brandis
11.	<i>Elaeocarpus venustus</i> Bedd.
12.	<i>Garcinia imberti</i> Bourd.
13.	<i>Haplothismia exanulata</i> Airy Shaw
14.	<i>Humboldtia bourdillonii</i> Prain
15.	<i>Humboldtia trijuga</i> (Joseph & V. Chandras.) Mohanan
16.	<i>Janakia arvalpathra</i> Joseph & V. Chandras.

17.	<i>Madhuca bourdillonii</i> (Gamble) H.J. Lam.
18.	<i>Memecylon sisparens</i> Gamble
19.	<i>Paphiopedilum druryi</i> (Bedd.) Stein
20.	<i>Salacia malabarica</i> Gamble
21.	<i>Syzygium palghatense</i> Gamble
22.	<i>Syzygium periyarensis</i> Jomy & Sasidh.
23.	<i>Toxocarpus beddomei</i> Gamble
24.	<i>Toxocarpus palghatensis</i> Gamble
25.	<i>Vanda thwaitesii</i> Hook.f
26.	<i>Vanda wightii</i> Rchb.f.
Animals	
1.	<i>Latidens salimalli</i> , Thonglongya, 1974
2.	<i>Viverra civettina</i> , Blyth, 1862
3.	<i>Balaenoptera musculus</i> (Linnaeus, 1758)
4.	<i>Dugong dugon</i> (Muller, 1776)
5.	<i>Panthera tigris tigris</i> , Linnaeus, 1758
7.	<i>Gyps indicus</i> (Scopoli, 1786)
8.	<i>Dermochelys coriacea</i> (Vandelli, 1761)
9.	<i>Eretmochelys imbricata</i> (Linnaeus, 1766)
10.	<i>Fejervarya murthii</i> Pillai, 1979
11.	<i>Indirana phrynoderma</i> (Boulenger, 1882)
12.	<i>Philautus chalaziodes</i> (Günther, 1876)
13.	<i>Pristis zijsron</i> Bleeker, 1851

Annexure

Condition No.

Conditions

1. No plant or animal species as notified above shall be collected in live or dead condition by any person except, for purposes mentioned below, with the approval of the concerned State Biodiversity Board; and also in accordance with the provisions of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) and the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) or the relevant State forest and wildlife legislations, namely:-
 - (e) Scientific research;
 - (f) Herbarium and museum of scientific and academic institutions;
 - (g) Propagation; and
 - (h) Any other scientific investigation.
2. The concerned State Biodiversity Board shall initiate or conduct :-
 - (iv) studies on all aspects of the notified species for holistic understanding;
 - (v) propagation of the notified species for the purpose of *in situ* and *ex situ* conservation and rehabilitation; and
 - (vi) awareness programmes and provide educational materials on notified species for forest department personnel, Biodiversity Management Committees, ecotourism programmes, and forest dwellers and tribals.

[F. No. 28 12/2008-CS-III]
A. K. GOYAL, Jt. Secy.